



केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक-26.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Mir Mohammad Fayaz** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **752** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	SOHAM SETHI	CHANDAN SETHI, MOB- 9419990002	1	NO.1, GANDHINAGAR, JAMMU
2	AKSHIT SHARMA	SHASHI PAL SHARMA, MOB- 9797587472	1	NO.1, GANDHINAGAR, JAMMU
3	GURVEEJAY SINGH	SIMRANJEET SINGH, MOB- 9419122905	1	NO.2, JAMMU CANTT
4	MANVEER RAINA	DINESH KUMAR RAINA, MOB- 9419103245	2	NO.1, GANDHINAGAR, JAMMU
5	SAANVI SHARMA	SATVIR SHARMA, MOB- 7006284085	4	NO.3, MIRAN SAHIB, JAMMU
6	ROHIT SHARMA	SOM RAJ, MOB- 9419861348	6	NO.1, GANDHI NAGAR, JAIPUR
7	ANIQA ZEHR	MOHAMMAD YOUSUF BHAT, MOB- 9697123454, 6006106686	5	NO.2, SRINAGAR
8	MOHAMMAD HASNAIN BHAT	ASIF ALI BHAT, MOB- 9697123454	1	NO.2, SRINAGAR
9	JULFIQAR ALI	GULZAR HUSSAIN, MOB- 8491993372	2	KARGIL
10	IRTIQA JAINAB	MOHAMMAD YOUSAF BHAT, MOB- 6006106686	2	NO.2, SRINAGAR

प्रा. ठाकरे
 कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

(i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।

(ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।

(iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पिया ठाकुर²
26/8/xx
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Mir Mohammad Fayaz माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, JAMMU संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

Br